

10 $\frac{04}{17}$

वारी के आवेदन पर पञ्जावली काम पेस हुआ।
आवेदन वारी उपर)

नया वाद पेस करने की अनुमति दे लाघ वाद में
जारी विद्वाल खारिज रूपाने क वारी न आवेदन
पेस दिया। आवेदन पर सुना गया तथा ब्रेकर क
अपलोकन दिया गया। वारी अपने वाद में विद्वाल
कर रहा है इसलिए आवेदन वारी स्वीकर दिया जाता है
तथा नया वाद पेस करने की अनुमति दे लाघ हस्तगत
वाद जारी विद्वाल खारिज दिया जाता है। निर्णय
सुनाया गया।

पञ्जावली केसल सुकर हो कर जारी है।

59

(मुन्शी लाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, लाहौर (नागौर)